13.9.2022 प्रार्थीगण के वकील उपस्थित।

विप्रार्थी सं. 1 से 2 के वकील व 4 के पैरोकार उप.। शेष विप्रार्थी एकतरफा।

वकुलाय फरिकेन की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क दिये कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम रामदेवरा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 150 क्षेत्रफल 4.0855 हैक्टयर, खसरा नम्बर 48 रकबा 6.9331 हैक्ट, खसरा नम्बर 67 रकबा 11.7952 हैक्ट, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.1294 हैक्ट खसरा नम्बर 78 रकबा 2.8800 हैक्ट कुल रकबा 25.8232 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। प्रार्थीगण प्रत्येक थोक का 1/5–1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का प्रत्येक थोक का 1/10–1/10 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है और हिस्सेनुसार प्रार्थी का मौके पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने के कारण विप्रार्थी संख्या 01 से 02 आये दिन प्रार्थीगण की कब्जा शुदा भूमि में बेदखली करने की फिराक में रहते है और प्रार्थी की कब्जा शुदा भूमि को बेचान करने की धमकिया भी देते रहते है। साथ ही विप्रार्थी संख्या 01 से 02 मौके की स्थिति को भी रद्बोबदल करने पर उतारू है। इस कारण प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवानें हेतु वाद पेश किया गया है। जो अभी वादी साक्ष्य में विचाराधीन चल रहा है। इस कारण प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्व स्थगन आदेश जारी रखा जावें।

वकील विप्रार्थी सं. 1 व 2 ने जवाब प्रस्तुत नहीं करते हुए अपनी बहस में प्रार्थीगण के आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए मौके एवं कब्जे की भूमि में कोई भी पक्षकारान एक दूसरे की कब्जा काश्त में दखलदाजी नहीं करने की निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे।

हमनें दोनो पक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेज़ात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम रामदेवरा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 150 क्षेत्रफल 4.0855 हैक्टयर, खसरा नम्बर 48 रकबा 6.9331 हैक्ट, खसरा नम्बर 67 रकबा 11.7952 हैक्ट, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.1294 हैक्ट खसरा नम्बर 78 रकबा 2.8800 हैक्ट कुल रकबा 25.8232 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण प्रत्येक थोक का 1/5–1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का प्रत्येक थोक का 1/10–1/10 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जो पत्रावली [illegible] भूमि की जमाबंदी संवत 2076 से 2079 से प्रमाणित होता है। और हिस्सेनुसार [illegible] का मौके पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। चूंकि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 02 रिकार्डड सहखातेदार है और इनके हिस्से भी राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में खुले हुए है। यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि का बेचान कर दिया जाता है तो पक्षकारान के मध्य विवाद बठने से इन्कार नहीं किया जा सकता है और प्रकरण को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदीगीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:27:59 IST
Reason: SelfAttested

SDO सिणधरी

224/2021

बढेगी। उपरोक्त परिस्थिति को मदद्वेनजर रखते हुए मूलवाद के निर्णय तक दोनो पक्षो को पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 02 को मूलवाद के निर्णय तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि ग्राम रामदेवरा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 150 क्षेत्रफल 4.0855 हैक्टयर, खसरा नम्बर 48 रकबा 6.9331 हैक्ट, खसरा नम्बर 67 रकबा 11.7952 हैक्ट, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.1294 हैक्ट खसरा नम्बर 78 रकबा 2.8800 हैक्ट कुल रकबा 25.8232 हैक्टयर भूमि का हस्तांन्तरण न करे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:27:59 IST
Reason: SelfAttested